

19/11/22

आज यह पञ्जाबी वार्ड कोर्ट
प्रांश 212 हेल्थिंग इंडी वाडी
वकील उपा। पैरोकार मन्जार उपा।
वकील के दौरान वाडी वकील ने विवेक
किया कि रिकॉर्ड के आधार पर
निस्तारण किया जावे। पैरोकार मन्जार
ने अपनी रिपोर्ट में विवादास्पद
को गैर ठु गंडा इत रिकॉर्ड होना
कैरि किया है।

वकील वाडी एवं पैरोकार मन्जार
की बचत पर गजन किया गया एवं
पञ्जाबी का आवलोकन किया गया।
प्रथम दुष्टया प्रणरण वाडी के पक्ष
में साबित नहीं होता है। एवं क
वाडी के अधीकारों का प्रश्न है कि
मुजवाए में तय किया जावे। यदि
प्रथम दुष्टया प्रणरण वाडी के पक्ष
में साबित नहीं होता है तथा यदि
गैर ठु गंडा इत रिकॉर्ड है। साबित

FORM NO III

APP-A
Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

..... मुकाम
 बनाम
 नं सन्

ख म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये <small>Court</small>
	<p>वादी की अपूर्णता के लिये जमानत का आदेश है। अतः प्रा.पत्र 212 का अंत आदेश में खारिज किया जाता है। प्राप्त की फौजदारी होकर रफिखान से काम चलाये। संलग्न मुद्रा है।</p> <p style="text-align: center;">SPO</p>	<p>श्री ण ट के ली के । ग व</p>

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]